



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2171 वर्ष 2026

रविशंकर

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रमुख गृह सचिव लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: कपिल देव श्रीवास्तव, दीपक कुमार
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -13

माननीय न्यायाधीश श्री मनीष कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक - जो पुलिस थाना मौरावां, जिला उन्नाव में दर्ज वाद अपराध संख्या 534/2025, में अंतर्गत धारा 137(2), 103(1), 238(ए) बी.एन.एस {पूर्व धाराएँ 363, 302, 201 आई.पी.सी.(अब निरस्त)} मामले में शामिल है, वाद के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग कर रहा है।

3. दिनांक 11.09.2025 को बी एन एस, 2023 की धारा 137(2) (पुरानी धारा 363 आई पी सी, अब निरस्त) के तहत दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 01.09.2025 को, सूचनाकर्ता की 15 वर्षीय बेटी रात लगभग 10:00 बजे अपने घर से लापता हो गई। तमाम प्रयासों के बावजूद, उसका पता नहीं लगाया जा सका।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि कथित घटना दिनांक 01.09.2025 की है, जबकि प्राथमिकी दिनांक 11.09.2025 को दर्ज की गई, जिसमें 10 दिनों का एक अस्पष्ट विलंब हुआ है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी आरम्भ में किसी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई थी। दिनांक 06.09.2025 को, पुलिस ने लगभग 32 वर्ष आयु की एक महिला का शव बरामद किया, जिसके बारे में यह आरोप है कि सूचना देने वाले ने उसकी पहचान अपनी लापता बेटी के शव के रूप में की है। ऐसी पहचान अत्यंत संदिग्ध है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतका की आयु लगभग 15 वर्ष है। अतः, ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण मामला इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

धारणा पर आधारित है कि बरामद किया गया 32 वर्षीय महिला का शव ही सूचनादाता की नाबालिग बेटी का शव है।

5. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक का नाम केवल सह-अभियुक्त मोहित कुमार के बयान में सामने आया है, और इस बयान के अतिरिक्त, जांच के दौरान अथवा आरोप पत्र दाखिल करते समय आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य दोषारोपक सामग्री एकत्र नहीं की गई है।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्राप्त निर्देशों के आधार पर, जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और यह निवेदन किया है कि मुख्य अभियुक्त, जिसका कथित तौर पर सूचना देने वाले की बेटी के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था, को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसने पुलिस के समक्ष यह बयान दिया है कि उसने, वर्तमान आवेदक के साथ मिलकर, सूचनाकर्ता की बेटी की हत्या की है। हालाँकि, वह आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों का खंडन नहीं कर सके।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, यह पता चलता है कि प्राथमिकी 10 दिनों की बिना किसी स्पष्टीकरण के देरी से दर्ज की गई है। बरामद शव की शव परीक्षण रिपोर्ट, जो चार्जशीट का हिस्सा है, मृतक की उम्र लगभग 32 वर्ष बताती है, जबकि सूचनाकर्ता की बेटी की उम्र लगभग 15 वर्ष बताई गई है। आवेदक के विरुद्ध आरोपपत्र केवल सह-आरोपी के स्वीकारोक्ति कथन के आधार पर दायर की गई है।

8. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है।

9. तदनुसार, यह जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

10. आवेदक **रविशंकर** को उपरोक्त मामले (अपराध संख्या) में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसी राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें धमकाएगा नहीं।
- (iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(vii) आवेदक साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(viii) आवेदक धारा 313 आ.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज कराने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

11. यदि ऊपर दी गई शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगा कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

12. चूंकि यह आदेश आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

26 मार्च, 2026

दिव्या

(न्यायाधीश श्री मनीष कुमार)